INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

...icate No.	:	IN-UP61936880309274W
...icate Issued Date	:	22-Oct-2024 03:07 PM
...unt Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14326/DIAL NAGRARHI (SAGAR)/ UP-DIAL
...ique Doc. Reference	:	SUBIN-UP0UP14326202450282282432114326W
...chased by	:	ANKIT KUMAR S/O LATE RAM KUMAR
...scription of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an Agreement
...operty Description	:	Not Applicable
...nsideration Price (Rs.)	:	
...rst Party	:	ANKIT KUMAR S/O LATE RAM KUMAR
...econd Party	:	Not Applicable
...Stamp Duty Paid By	:	ANKIT KUMAR S/O LATE RAM KUMAR
...Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Please verify at Type Validity this form

(घोषणा–पत्र)

मैं/हम अंकित कुमार सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देते हैं/देते हैं कि :-

(क)मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं हमअनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ की दिनांक ..... से 2 वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्योंकेलिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ/रखते है।

(ख)मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्ही उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबंधों का इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबंधों से जहाँ तक कि उपबंध लागू हैं बाध्य होने को सहमत हूँ/है।

अंकित कुमार

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय
सोनभद्र-रॉबर्ट्सगंज

Statutory Alert:

The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and on available on the website / Mobile App renders it invalid. Any dispute regarding the authenticity of the contents of the certificate.

(घ)मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कण्डितवितरणसंहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दे।

(ङ)मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे है उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।

(च)मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात इस संहिता में वर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है

(छ) जब योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर उसे परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से स्वयम् अथवा कार्पोरेशनलिमिटेड द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्तिनहीं होगी ।

(ज)उपरोक्त कारपोरेशन यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विन्यास मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रयोग होने वाली विषय की सामग्री जिसका पैसा उ0प्र0पा0कार्पो0लि0 के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा ।

(झ)उपभोक्ता को पूर्व से स्थापित परिवर्तक से एल0टी0लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसीपरिस्थिति में उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु कूट के अतिरिक्त विषय द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(ञ) मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी/स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह/आगामी माहों में खण्डीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड ..लालगंज रायबरेली..से बिल प्राप्त करूँगा/करता रहूँगा तथा उसका भुगतान ससमय करूँगा/करता रहूँगा ।

(ट)मैं/हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(ट)मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी बाद की दिनाँक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(ठ)मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनिधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या मीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुप्तिधारी द्वारा मुझे/हमको उपलब्ध कराई गई ऊर्जा को विधिसम्मत और प्राधिकरपूर्ण उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार हो कि उपकरण में अप्राधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन चाहे वह कैसा भी क्यों न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोजन या मीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञप्तिधारी का कोई पराभिहित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपकरण मीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(ड) मैं वचन देता हूँ कि जब कभी वह परिसर जिसके लिए विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है खाली करना है तो अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत वितरण संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करूँगा।

दिनाँक :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

गवाहों के ह0

1 सन्तोष कुमार / राम कुमार अंकित कुमार

ग्रा0 सुआ खेड़ा पो0 बन्नामऊ

मो0 न0 9559488909

घोषित S/o राम किशोर ग्राम सुआखेड़ा

पोस्ट बन्नामऊ जिला रायबरेली

मो0 9793488065

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय

लालगंज-रायबरेली